

Details Regarding Buses

32. Sh. VARUN CHAUDHRY (Mullana):

Will the Transport Minister be pleased to state:-

- a) The sanctioned strength of buses in the year 2014 and 2023;
- b) The year wise number of buses purchased and condemned since the year 2014;
- c) The year wise number of buses in working condition since the year 2014;
- d) The number of pink colour buses purchased for women commuters along with the reasons for not plying these buses dedicatedly for women in the State;
- e) The justification of changing the working life span of buses from eight years to fifteen years; and
- f) The reasons for delay in purchase of new buses (in case)?

MOOLCHAND SHARMA, TRANSPORT MINISTER, HARYANA.

ANSWER:-

- a) Sir, the sanctioned strength of buses in year 2014 was 4500 and in year 2023 is 5300.
- b) Sir, the year wise details of purchased and condemned since year 2014 is given below:-

Sr. No.	Year	No. of buses purchased	Type of Buses	No. of buses condemned
1.	2014-2015	----	-----	248
2.	2015-2016	----	-----	151
3.	2016-2017	300	Standard Non-AC buses	187
4.	2017-2018	150	Standard Non-AC buses	280
5.	2018-2019	----	-----	421
6.	2019-2020	168	18 Super Luxury +150 Mini Pink buses	350
7.	2020-2021	562	Standard ordinary buses under KM Scheme inducted.	519
8.	2021-2022	809	Standard Non-AC buses	369

9.	2022-2023	1281	1000 Standard Non-AC buses 128 Mini buses 153 Heat Ventilated AC buses	893
----	-----------	------	--	-----

c) Sir, The year wise number of buses in working condition since the year 2014 is given below:-

Sr. No.	Year	No. of State-Owned Buses in Working condition	No. of hired buses under KM Scheme
1.	2013-2014	3821	-
2.	2014-2015	4083	-
3.	2015-2016	4170	-
4.	2016-2017	4145	-
5.	2017-2018	4063	-
6.	2018-2019	3951	-
7.	2019-2020	3630	-
8.	2020-2021	3359	562
9.	2021-2022	2961	562
10.	2022-2023	2604	562
11.	2023 till Oct'23	3129	562

d) Sir, the department had purchased 150 Mini pink colour buses for women commuters during 2020. Initially these were plied for women commuters. However due to increased requirement of buses for women and girl school students on certain routes additional 135 number of 52-Seater Standard Non-AC Buses were plied keeping in view the route efficiency, along with 78 pink coloured Mini buses which are still in operation. The remaining pink coloured Mini buses are being plied for all passengers due to commercial reasons and for providing better public transportation facility. The total services for women/girl commuters have been increased from 4800 (150x32) seats in 150 Pink Mini buses earlier to 9516 (78x32 + 135x52) as per actual requirement.

e) Sir, the Haryana Roadways buses were being condemned earlier upon covering a mileage of 7 lakh Kilometres and after completing 8 years as per State Government instructions issued in 2011. The matter was reviewed in 2021, to bring it into conformity with provisions of Rule 67A of Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, and age of buses was fixed at minimum mileage of 7 Lakh Kilometres and minimum period of 8 years subject to the fitness of the vehicle.

f) Sir, the buses have been purchased as per requirement for time to time by the department.

बसों से सम्बंधित ब्यौरा

32. श्री वरुण चौधरी (मुलाना) :

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) वर्ष 2014 तथा 2023 में बसों की स्वीकृत संख्या कितनी है;
- (ख) वर्ष 2014 से आज तक खरीदी गयी एवं अनुपयोग घोषित की गयी बसों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (ग) वर्ष 2014 से आज तक चालू हालत में बसों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (घ) महिला यात्रियों के लिए खरीदी गयी गुलाबी रंग की बसों की संख्या कितनी है तथा राज्य में महिलाओं के लिए समर्पित इन बसों को न चलाने के कारण क्या हैं;
- (ङ) बसों की कार्य जीवन अवधि 8 वर्ष से 15 वर्ष करने का औचित्य क्या है;
- (च) नई बसों (मामले में) की खरीद में देरी के कारण क्या हैं?

श्री मूलचन्द शर्मा, परिवहन मंत्री, हरियाणा सरकार

उत्तर :

- (क) श्रीमान्, वर्ष-2014 में बसों की स्वीकृत संख्या 4,500 थी तथा वर्ष-2023 में 5,300 है।
- (ख) श्रीमान्, वर्ष-2014 से विभाग द्वारा खरीदी गई तथा नकारा घोषित की गई बसों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	वर्ष	खरीदी गई बसों की संख्या	बस का प्रकार	नकारा घोषित की गई बसों की संख्या
1	2014-2015	----	----	248
2	2015-2016	----	----	151
3	2016-2017	300	साधारण गैर-वातानुकूलित बस	187
4	2017-2018	150	साधारण गैर-वातानुकूलित बस	280
5	2018-2019	----	----	421
6	2019-2020	168	18 सुपर-लग्जरी बसें + 150 मिनी गुलाबी बसें	350
7	2020-2021	562	किलोमीटर स्कीम के तहत शामिल गई साधारण बस	519
8	2021-2022	809	साधारण गैर-वातानुकूलित बस	369
9	2022-2023	1281	1000 साधारण गैर-वातानुकूलित बसें + 128 मिनी गुलाबी बसें + 153 HVAC	893

- (ग) श्रीमान्, वर्ष-2014 से चालू हालत की बसों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	वर्ष	विभाग के स्वामित्व वाली चालू हालत की बसों की संख्या (वर्षवार औसत)	किलोमीटर स्कीम के तहत साधारण बसों की संख्या
1.	2013-2014	3821	-
2.	2014-2015	4083	-
3.	2015-2016	4170	-
4.	2016-2017	4145	-
5.	2017-2018	4063	-
6.	2018-2019	3951	-
7.	2019-2020	3630	-
8.	2020-2021	3359	562
9.	2021-2022	2961	562
10.	2022-2023	2604	562
11.	2023-अक्तूबर, 2023 तक	3129	562

(घ) श्रीमान्, विभाग ने 2020 के दौरान महिला यात्रियों के लिए 150 मिनी गुलाबी रंग की बसें खरीदी थीं। शुरुआत में इन्हें महिला यात्रियों के लिए चलाया गया था। हालाँकि, कुछ मार्गों पर महिलाओं और स्कूली छात्राओं के लिए बसों की बढ़ती आवश्यकता के कारण मार्ग-दक्षता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 135 साधारण गैर-वातानुकूलित 52 सीटों वाली बसें चलाई गईं, साथ ही 78 गुलाबी रंग की मिनी बसें भी चल रही हैं जो अभी भी परिचालन में हैं। शेष गुलाबी रंग की मिनी बसें व्यावसायिक कारणों से और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए सभी यात्रियों के लिए चलाई जा रही हैं। महिला/लड़की यात्रियों के लिए वास्तविक आवश्यकता के अनुसार, 150 पिक मिनी बसों में पूर्व में 4,800 (150x32) सीटों से बढ़ाकर 9,516 (78x32 + 135x52) सीटें कर दी गई हैं।

(ङ) श्रीमान्, राज्य परिवहन, हरियाणा की बसें पूर्व में वर्ष-2011 में जारी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार 7 लाख किलोमीटर का परिचालन पूर्ण करने तथा कुल 8 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत नकारा घोषित की जाती थीं। हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 67ए के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए मामले में वर्ष-2021 में समीक्षा की गई थी और बसों की आयु न्यूनतम 7 लाख किलोमीटर का परिचालन व वाहन की फिटनेस के अधीन न्यूनतम अवधि 8 वर्ष तय की गई थी।

(च) श्रीमान्, विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार बसों की खरीद की जाती रही

है।